राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–318/2017

रीमा सोनी

–अपीलार्थी

बनाम

उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर मण्डल, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक	:	27.02.2017
आदेश की दिनांक	:	30.05.2023

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री राजेश राज कुमावत, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किये गए हैं कि अपीलार्थिया वरिष्ठ अध्यापक हिन्दी के पद पर होने के फलस्वरूप आदेश दिनांक 03.02.2016 के जरिये अपीलार्थिया को पदोन्नति पद पर पदस्थापित करने का आदेश पारित किया था। जिसके द्वारा अपीलार्थिया का पदस्थापन रामस्वरूप रा.उ.मा.वि. तौलियासर, श्रीडूंगरगढ बीकानेर से रा.उ.मा.वि. सूरजनसर, श्री डूंगरगढ, बीकानेर किया गया। अपीलार्थिया के अधिवक्ता का कथन है कि उस पदस्थापन स्थान पर अपीलार्थिया ने कार्यग्रहण नहीं किया, क्योंकि अपीलार्थिया के कुल्हे की हड्डी में फैक्चर हो जाने के कारण अपीलार्थिया को चलने में परेशानी होती है। जो पदस्थापन स्थान अपीलार्थिया को दिया गया था, वहां अपीलार्थिया जाने में समर्थ नहीं थी। जिस कारण उन्होंने अपना पदस्थापन स्थान संशोधित करने बाबत् एक अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग को दिया था। प्रत्यर्थी विभाग ने कार्यग्रहण करने की अवधि भी बढ़ाई थी। इसके अलावा प्रत्यर्थी विभाग के निदेशक से पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान को बदलने के लिए अनुशंषा भी की थी, परंतु अभी तक अपीलार्थिया की पदोन्नति के उपरांत पदस्थापन स्थान नहीं बदला गया है।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से यह निवेदन किया गया है कि पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान काउन्सिलिंग के आधार पर की जाती है। अपीलार्थी ने लिखित सहमति दी थी। जिसके आधार पर अपीलार्थी को रा.उ.मा.वि.

सूरजनसर, श्री डूंगरगढ, बीकानेर पदस्थापित किया गया था। उक्त स्थान अपीलार्थिया के पदस्थापन स्थान से 20 किमी. दूर है। ऐसे में अपीलार्थिया का पदस्थापन उचित प्रकार से किया गया है।

3. हमारे द्वारा दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार किया गया। इस प्रकरण में अपीलार्थिया द्वारा उसके पदस्थापन आदेश को चुनौती दी गई है, जो आदेश दिनांक 03.02.2016 है। जिसे पारित हुये वर्तमान में 7 वर्ष हो चुके हैं। अपीलार्थियो ने अपना अपंगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार अपीलार्थिया की कुल्हे की हड्डी फैक्चर होने उसके 50 प्रतिशत स्थाई अपंगता होना प्रकट होता है। ऐसे में स्वाभाविक है कि अपीलार्थिया को चलने–फिरने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। अपीलार्थिया की उक्त परेशानी को देखते हुए प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थिया की परेशानी को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्यर्थी विभाग पदोन्नति उपरांत पदस्थापन नये सिरे से करने के लिए स्वंतत्र रहेगी। अपीलार्थिया भी पदस्थापित स्थान हेतु विकल्प प्रत्यर्थी विभाग को देने के लिए स्वंतत्र रहेगी। जिस पर प्रत्यर्थी विभाग विचार कर सकेगा।

4. उपरोक्त आदेश के साथ अपीलार्थिया की अपील का निस्तारण किया जाता है। उपरोक्त आदेश की पालना 4 सप्ताह में की जाये।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)